

प्रेस-विज्ञप्ति
जनपद कानपुर देहात।

दिनांक:- 01.09.2021

थाना रुरा

दिनांक 31.08.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0 633/21 धारा 376 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट में वाछिंत अभियुक्त प्रदीप को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

थाना अकबरपुर

दिनांक 31.08.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0 168/19 धारा 363/366/120 बी भादवि में वाछिंत अभियुक्त आशीष कुमार को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।